



केवल बिलासपुर न्यायालय क्षेत्रान्तर्गत

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

(मिनी रत्न कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय-सीपतरौड, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495006

REGD. OFFICE- SEEPAT ROAD, BILASPUR, DISTT. -BILASPUR (C.G.)-495006

क्रमांक/एसईसीएल/बीएसपी/डीटीओ/9ए/ 464

दिनांक 19.05.2015

प्रति/To,

महानिदेशक खान सुरक्षा/The Director General of Mines safety

हिरापुर रोड/Hirapur Road,, धनबाद/Dhanbad

विषय- कोयला खान नियमन 1957 के नियमन 8ए के अनुसार आपरेशन डिवीजन के कोयला खदानों में मान्य एजेंट (डीम्ड एजेंट) संबंधी विवरण ।

Sub: Statement regarding Deemed Agent in the Coal Mines of Operation Division as per Regulation 8A of the CMR 1957.

महोदय/ Dear Sir,

मैं, श्री उमेश चौधरी, महा प्रबंधक, रायगड क्षेत्र, को नीचे कालम-4 में दर्शित उत्तरदायित्वों के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से कार्य निष्पादित करने हेतु एतद् द्वारा अधिकृत करता हूँ । उन्हें कोयला खान नियमन 1957 के नियमन 8ए के प्रावधानों के अनुपालन हेतु एजेंट के रूप में माना जाएगा ।

I hereby authorize Shri Umesh Chowdhury, General Manager, Raigarh Area, to act on behalf of the undersigned in respect of the responsibilities mentioned at column 4 below and he shall be deemed to be agent to comply with the provisions of regulations 8A of the Coal Mines Regulations 1957.

नाम श्री/Name Shri (1)	पदनाम/ Designation (2)	पदस्थापना स्थल Place of Posting (3)	उत्तरदायित्व / Responsibilities (4)
Umesh Choudhury	General Manager	Raigarh Area	Management, control Direction and supervision of mines to ensure safe working to comply with the provisions of the Mines Act, Regulations and Rules etc. in all mines of Raigarh Area.

यह आपके सूचनार्थ प्रेषित है । This is for your kind information please.

Area Safety Officer

23.5.15

भवदीय

(राम प्रवेश ठाकुर)

निदेशक (तकनीकी) संचालन/

नामित स्वामी

प्रतिलिपि/ Copy to-

01. उप महानिदेशक खान सुरक्षा (सा. ई. जोन), गोण्डवन प्लेस, रांची, झारखंड.
02. निदेशक खान सुरक्षा, रायगड डिवीजन, रायगड
03. संबंधित अधिकारी ।

प्रथम अनुसूची

प्रपत्र-1

(कोयला खान (संशोधित) नियमन 1985 का नियमन 8ए देखें)
(खोलने, बंद करने या नाम परिवर्तन करने के लिए सूचना)

प्रेषक:

निदेशक(तकनीकी) संचालन/ नामित स्वामी,

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

सीपत रोड, बिलासपुर 495006 (छ.ग.)

प्रति,

महानिदेशक खान सुरक्षा/The Director General of Mines safety

हीरापुर रोड/Hirapur Road,, धनबाद/Dhanbad.

महोदय,

मैं, एसईसीएल खानों के संबंध में मान्य/माने गए एजेंट की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता हूँ -

01	खान का नाम बदले जाने की स्थिति में/In Case change of name of Mine	NA
	खान का पुराना नाम/Old name of mine	NA
02	(क) खान की अवस्थिति/Situation of the mine	Raigarh Area,
	खान के नए विवरणों की स्थिति में/In case of new particulars of the mine	
03	नाम एवं डाक का पता/Name and Postal Address of	PO: Raigarh , Dist. Raigarh (C.G.)
	(क) स्वामी/Owner	Shri R. P. Thakur
	(ख) प्रबंध एजेंट/Managing Agent	-
	(ग) प्रबंधक/Manager	-
	(घ) एजेंट/Agent	-
	(ड.) परिवर्तन हो तो, परिवर्तन की तारीख/In case of change, date of change	-
04	(क) मान्य/माने गए एजेंट, जिसकी नियुक्ति की जानी है, का नाम व योग्यता/Name and qualification of Deemed agent who is appointed.	Shri Umesh Choudhury, B. Tech.(Mining), M.Tech. (Mine Planning & Design), FCC (Coal), General Manager, SECL, Raigarh Area
	(ख) नियुक्ति की तारीख/Date of Appointment	21.04.2015
05	खान को खोलने/ पुनःखोलने/ त्यागने/अनियमित करने की तारीख/Date on which it is intended to open/re-open/abandon/discontinue the mine	NA
06	खान को खोलने/पुनःखोलने/त्यागने/अनियमित करने की वास्तविक तारीख/Actual date of opening/ re-opening/abandonment/discontinuance of the mine	NA

भवदीय,

(राम प्रवेश ठाकुर)

निदेशक (तकनीकी) संचालन/ नामित स्वामी

प्रतिलिपि/ Copy to-

01. उप महानिदेशक खान सुरक्षा (S.E. जोन), Ranchi

02. निदेशक खान सुरक्षा, रायगड डिवीजन, रायगड

03. संबंधित अधिकारी ।

प्रथम अनुसूची

प्रपत्र-1

(कोयला खान (संशोधित) नियमन 1985 का नियमन 8ए देखें)
(खोलने, बंद करने या नाम परिवर्तन करने के लिए सूचना)

प्रेषक:

निदेशक(तकनीकी) संचालन/ नामित स्वामी,

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

सीपत रोड, बिलासपुर 495006 (छ.ग.)

प्रति,

महानिदेशक खान सुरक्षा/The Director General of Mines safety

हीरापुर रोड/Hirapur Road,, धनबाद/Dhanbad.

महोदय,

मैं, एसईसीएल खानों के संबंध में मान्य/माने गए एजेंट को हटाने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता हूँ-

01	खान का नाम बदले जाने की स्थिति में/In Case change of name of Mine	NA
	खान का पुराना नाम/Old name of mine	NA
02	(क) खान की अवस्थिति/Situation of the mine	Raigarh Area, SECL
	खान के नए विवरणों की स्थिति में/In case of new particulars of the mine	
03	नाम एवं डाक का पता/Name and Postal Address of	PO: Raigarh , Dist. Raigarh (C.G.)
	(क) स्वामी/Owner	Shri R. P. Thakur
	(ख) प्रबंध एजेंट/Managing Agent	-
	(ग) प्रबंधक/Manager	-
	(घ) एजेंट/Agent	-
	(ड.) परिवर्तन हो तो, परिवर्तन की तारीख/In case of change, date of change	-
04	(क) मान्य/माने गए एजेंट, जिसकी नियुक्ति समाप्त की जानी है, का नाम व योग्यता/Name and qualification of Deemed agent whose appointment is terminated.	Shri U. K. Singh General Manager SECL, Raigarh Area
	(ख) पद समापन/हटाने की तारीख/Date of terminated	21.04.2015
05	खान को खोलने/ पुनःखोलने/ त्यागने/अनियमित करने की तारीख/Date on which it is intended to open/re-open/abandon/discontinue the mine	NA
06	खान को खोलने/पुनःखोलने/त्यागने/अनियमित करने की वास्तविक तारीख/Actual date of opening/re-opening/abandonment/discontinuance of the mine	NA

भवदीय,

(राम प्रवेश ठाकुर)

निदेशक (तकनीकी) संचालन/ नामित स्वामी

प्रतिलिपि/ Copy to-

01. उप महानिदेशक खान सुरक्षा (S.E. जोन), Ranchi.

02. निदेशक खान सुरक्षा, रायगड डिवीजन, रायगढ़

03. संबंधित अधिकारी ।